प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर वर्ष 2022.......
प्र0इ0रि0 सं. 340/2022................................दिनांक 31/8/2022..........................

2. (I) * अधिनियम ...पी0सी0 एक्ट 1988....... धारायें.....13 (1) (ई) सपठित धारा 13 (2) एवं 13(1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
(II) * अधिनियम ....धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....572 समय 6.05 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार..............................दिनांक .... समय ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक– **अपराध 120 / 2021**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–
(ब) *पता मकान नं. 104, विद्युत नगर सी, वैशाली नगर जयपुर,
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम **श्री कमल नयन (खाना तलाशी जांच रिपोर्ट के आधार पर)**
(ब) पिता / पति का नाम :
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष.................. ....
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....**उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, एसआईयू जयपुर**
(ल) पता...

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री भवंर लाल मेहरडा पुत्र श्री सुल्तान मेहरड़ा, उम्र 57 साल, जाति मेघवाल, निवासी मकान नं. 104, विद्युत नगर सी, वैशाली नगर जयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...............................
....——...
....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).. ....

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण स0 120/2021 के क्रम में आरोपी अधिकारी श्री भंवर लाल मेहरडा (आर.ए.एस) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर के आवास मकान नं. 104, विद्युत नगर सी, वैशाली नगर जयपुर, बैंक ऑफ बडौदा का लॉकर व सरकारी आवास अजमेर की खाना तलाशी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 09.04.2021 को कार्यालय महानिदेशक भ्रनिब्यूरो,राज0 जयपुर के पत्रांक 236 दिनांक 09.04.2021 के द्वारा प्राप्त गोपनीय सूत्र सूचना पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर कि राजस्व मण्डल, अजमेर में पदस्थापित राजस्व मण्डल सदस्यों मुख्यतः श्री सुनील शर्मा, श्री भंवर लाल मेहरडा द्वारा राजस्व मण्डल के अधिवक्ताओं से मिली भगत कर राजस्व मण्डल प्रकरणों में अनुकूल निर्णय करवाये जाने की एवज में स्वयं तथा अन्य राजस्व मण्डल सदस्यों के लिए भारी मात्रा में रिश्वत राशि ली जा रही है जिस पर कार्यवाही के दौरान श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक पुलिस, स्पेशल यूनिट द्वितीय,भनिब्यूरो,जयपुर ने श्री भंवर लाल मेहरड़ा मकान नं. 104, विद्युत नगर सी– वैशाली नगर जयपुर की खाना तलाशी मे 38,36,500 रूपये (अड़तीस लाख छत्तीस हजार पांच सौ रूपये) एंव दस्तावेज पाये गये, जो जरिये फर्द कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी के निवास पर मिली भारी मात्रा में संदिग्ध नगद राशि, सूत्र सूचना, अन्तावरोध व ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त सूत्र सूचना का विवरण एंव अन्य परिस्थितिजनक साक्ष्यों से श्री भंवरलाल मेहरडा, आरएएस, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा राजस्व प्रकरणों में पक्षकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग किया जाना प्रमाणित होने पर प्रकरण सं0 120/2021 दर्ज करवाया गया एवं दिनांक 12.04. 2021 को श्री भंवर लाल मेहरडा के बैंक ऑफ बडौदा में लॉकर की चैकिंग की गई। दिनांक 26.05.2021 को श्री राकेश कुमार वर्मा पुलिस निरीक्षक, एस.यू. एसीबी अजमेर द्वारा श्री भंवर लाल मेहरडा के सरकारी आवास की तलाशी ली गई। आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा, तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर के निवास स्थानो की खाना तलाशी के दौरान स्वयं व परिवारजनों के नाम प्रोपर्टी के दस्तावेजात, एग्रीमेंट संबंधी दस्तावेजात, व्यक्तियों को राशि उधार दिये जाने के संबंध में सादा कागज पर लिखित दस्तावेजात व बैंक से अपने नाम लिये हुए चैक, विभिन्न बैंक खातो के स्टेटमेंट व चैक पीरियड में श्री मेहरडा द्वारा आहरित वेतन संबंधित रिपोर्ट प्राप्त की गई। आरोपित अधिकारी श्री भंवर लाल मेहरडा तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर के पदस्थापन के बारे में कार्मिक विभाग से सूचना प्राप्त की गई तो श्री मेहरडा द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर दिनांक 15. 01.1996 को ज्वाईन किया तथा विभिन्न पदो पर पदस्थापित रहते हुए दिनांक 11.04.2021 को सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर से उपरोक्त कार्यवाही के दौरान निलम्बित किया गया।

जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के विवेचन से आरोपित अधिकारी श्री भंवरलाल मेहरडा, आरएएस, तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अर्जित आय –व्यय एवं परिसम्पतियों का चैक अवधि **दिनांक 15.1.1996 से 10.04.2021 की अवधि** तक का विवरण स्टेटमेंट प्रपत्र अ,ब,स एवं द तैयार किया गया, जिनके विवेचन से उक्त आरोपी के आय–व्यय एवं परिसम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार पाया गया है :–

स्टेटमेंट – "अ"

दिनांक 15.01.1996 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण

आरोपित अधिकारी श्री भंवर लाल मेहरड़ा (आर.ए.एस) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मंण्डल अजमेर के नाम राजकीय सेवा में नियुक्त होने से पूर्व चल व अचल सम्पत्तियां एवं राशि होना नहीं पाया गया है। अतः आय–व्यय एवं परिसम्पत्तियों का विवरण शून्य है।

" विवरण शून्य "

स्टेटमेंट – "ब"

दिनांक 10.04.2021 को आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा, तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर के पास मौजूद पाई गई परिसम्पत्तियों का विवरण

क0 सं0	परिसम्पत्तियों का विवरण	खदीदने / निवेश करने की दिनांक / वर्ष	किसके नाम खरीदी गई, आरोपी से सम्बन्ध।	परिसम्पत्ति की खरीद का कुल मूल्य
1.	दिनांक 10.04.2021 को श्री भंवर लाल मेहरडा (आर.ए.एस) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर के निवास स्थान मकान न0 104, विद्युत नगर सी, वैशाली नगर जयपुर की खाना तलाशी के दौरान सामान की कीमत फर्द खाना तलाशी अनुसार रूपये आंकी गई। घरेलू सामान क्रय की गई राशि 20,45,800/– रूपये आंकी गई है। इस प्रकार घरेलू सामान पर क्रय की गई राशि 20,45,800 की गणना परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	खाना तलाशी की फर्द के अनुसार आरोपी के द्वारा क्रय किया गया	20,45,800
2.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा के अजमेर स्थित सरकारी आवास की तलाशी दिनांक 26.05.2021 को ली गई तो तलाशी के दौरान कुल राशि 1,05,500 रूपये नकद मिले थे। इस प्रकार तलाशी के दौरान मिली राशि 1,05,500 की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	अजमेर स्थित आवास की खाना तलाशी की फर्द के अनुसार आरोपी के आवास पर नकद मिली राशि।	1,05,500
3.	दिनांक 10.04.2021 को आरोपी श्री भंवरलाल मेहरडा के आवास 104, विद्युत नगर सी, वैशालीनगर जयपुर की तलाशी के दौरान श्री भवंर लाल के बेडरूम के वार्डरोब में सोने चांदी के जेवर मिले जिसमें सोने के जेवर का वजन 162 ग्राम(लगभग 8,10,000 रूपये) व चांदी के जेवर वजन 480 ग्राम (लगभग 31,000) मिले जिनका कुल मुल्य लगभग 28,800 रूपये है। इस प्रकार जेवरात क्रय की गई राशि 8,38,800/– रूपयों की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	स्वयं के कमरे के वार्डरोब से	8,38,800
4.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा के बैंक ऑफ बडौदा वैशालीनगर जयपुर में लॉकर सं0 122 को दिनांक 12.04.2021 को गवाहान के समक्ष व आरोपी की पत्नी श्रीमती कमला की उपस्थिति में खोला जाकर तलाशी ली गई तो 3 सोने के बिस्किट जिनका क्रमशः 124.010 ग्राम, दूसरे का 155.390 ग्राम व तीसरे का 120.600 ग्राम पाया जिनका कुल वजन 400 ग्राम होना पाया जो 99.5 प्रतिशत शुद्ध है। जिनका बाजार मूल्य लगभग 20,00,000 रूपये है। इसके अतिरिक्त 536.25 ग्राम के अन्य आभूषण भी लॉकर में पाये गये जो श्रीमती कमला मेहरडा ने अपना स्त्रीधन बताया, जिसे आरोपी की पत्नी का स्त्रीधन मानते हुए इसकी गणना	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक ऑफ बडौदा के लॉकर की तलाशी में दिनांक 12.04.2021 को	20,00,000

	परिसम्पतियों में नहीं की गई है। इस प्रकार सोने के बिस्किट कय की गई राशि 20,00,000 की गणना परिसम्पति मद में की गई हैं।			
5.	दिनांक 10.04.2021 को आरोपी श्री भंवरलाल मेहरडा के आवास 104, विद्युत नगर सी, वैशालीनगर जयपुर की तलाशी के दौरान श्री भवंर लाल के बेडरूम के वार्डरोब से कुल 38,81,500 रूपये नकद बतौर वजह सबूत जब्त किये गये थे। इस प्रकार नकद राशि 38,81,500 की गणना परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15. 01.1996 से 10.04.2021 तक	स्वयं के कमरे के वार्डरोब से	38,81,500
6.	श्री भंवर लाल मेहरडा के बैंक ऑफ बडौदा, पार्क स्ट्रीट एम.आई. रोड. जयपुर के खाता सं0 14360100008192 में दिनांक 10.04.2021 को अंतिम बैलेंस राशि कुल 26,312/– (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं उक्त राशि की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15. 01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	26,312
7.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा का बैंक खाता संख्या 51031040732, एस.बी.आई. मुख्य शाखा अजमेर में दिनांक 10.04. 2021 को अंतिम बैलेंस कुल राशि 4,95,854/– (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) है, उक्त राशि की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15. 01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	4,95,854
8.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पत्नी श्रीमती कमला मेहरडा के बैंक ऑफ बडौदा, पार्क स्ट्रीट एम.आई. रोड. जयपुर के खाता स. 01300100016077 में दिनांक 10.04.2021 को अंतिम बेलेंस कुल राशि – 3,12,422/– (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) है, उक्त राशि की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15. 01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	3,12,422
9.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पुत्री सुश्री रवीना मेहरडा के इलाहबाद बैंक, बैंगलोर के खाता सं0 50071943508 में दिनांक 10.04.2021 को अंतिम बैलेंस कुल राशि 1,34,627/– (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) है, उक्त राशि की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15. 01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	1,34,627
10.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पुत्री सुश्री रवीना मेहरडा के एचडीएफसी बैंक, बैंगलोर के खाता सं0 50100267594123 में दिनांक 10.04.2021 को अंतिम बैलेंस कुल राशि 10,712/– (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) है, उक्त राशि की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15. 01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	10,712
11.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पुत्री रिचा मेहरडा के एसबीआई बैंक सेक्टर 8, चित्रकूट जयपुर के बैंक खाता सं0 61276520271 में दिनांक 10.04.2021 को अंतिम बैलेंस कुल राशि 30,865/–(बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) है, उक्त राशि	दिनांक 15. 01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	30,865

	की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।			
12.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा की माता श्रीमती सिणगारी देवी के एसबीआई बैंक, कलेक्ट्रेट हनुमानगढ के बैंक खाता स0 61213778826 में दिनांक 10.04.2021 को अंतिम बैलेंस कुल राशि 7,796/– (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) है, उक्त राशि की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	7,796
13.	आरोपित श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा आवासीय प्लाट नं0 104, विद्युत नगर सी, वैशालीनगर जयपुर कुल क्षेत्रफल 206 वर्गगज का दिनांक 18.10.2003 को श्री रोहित खेतान, 78, जय जवान कॉलोनी टोंक रोड जयपुर से खरीदा गया जों श्री मेहरडा द्वारा अपनी स्थावर संपत्ति के विवरण प्रोफार्मा में दर्शाया गया है। उक्त प्लाट जरिये रजिस्ट्री 9,00,000 रूपये में खरीदा गया तथा 95,000 रूपये स्टॉम्प पेपर व 13,200 रूपये पंजीयन शुल्क अदा किया गया। इस प्रकार कुल मुल्य 9,00,000+95,000+13,200= 10,08,200 रूपये खर्च किये गये है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।	18.10.2003	स्वयं के नाम पर	10,08,200
14.	आरोपित श्री भवंर लाल मेहरडा का आवासीय प्लाट नं0 104, विद्युत नगर सी, वैशालीनगर जयपुर कुल क्षेत्रफल 206 वर्गगज का है जिसमें तीन मंजिला भवन फुल फर्निस्ड है। उक्त भवन का अनुमानित क्षेत्रफल 5000 वर्गफिट है जिसकी अनुमानित निर्माण लागत 5000 x 1000 = 50,00,000/– रूपये होती है उक्त राशि की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की गई।		स्वयं का आवासीय मकान का निर्माण	50,00,000
15.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा स्वंय के नाम से एक आवासीय प्लॉट 299 वर्गगज का, प्लाट न0 ए–89 रेनवाल राजधानी मेट्रो पोलिस ग्राम रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर में दिनांक 10.10.2009 को खरीदा गया है श्री मेहरडा द्वारा अपनी स्थावर संपत्ति के विवरण प्रोफार्मा में दर्शाया गया है जिसका वर्तमान मूल्य 7,00,000 रूपये दर्शाया गया है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।	10.10.2009	स्वयं के नाम पर	7,00,000
16.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा की पत्नी श्रीमती कमला देवी के नाम से खुशी विहार, गणपतपुरा जयपुर में प्लाट नं0 46, कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज खरीदा गया जिस पर पंजीयन शुल्क 34,300 रूपये व स्टाम्प ड्यूटी 1380 रूपये व नियमन राशि 8,333 रूपये व लीज राशि 6,666 रूपये जमा करवायी गई है। उक्त प्लाट के क्रय पर कुल व्यय 50,679 रूपये	26.08.2011	स्वयं के पत्नी श्रीमती कमला मेहरडा के नाम से	50,679

	की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की जाती है।			
17.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पत्नी श्रीमती कमला देवी के नाम से आवासीय भूखण्ड प्लाट न0 252–बी–107, ब्लॉक बी, सुशांत सिटी प्रथम, ग्राम माचवा, कालवाड रोड जयपुर कुल क्षेत्रफल 500.25 वर्गमीटर का 13,82,070 रूपये में खरीदा गया है। इसके अतिरिक्त 84,031 व 9,020 रूपये भी आरोपी द्वारा चुकाये गये है। उक्त भूखण्ड का मेटींनेन्स चार्जेज 31,648 रूपये दिये गये है। इस प्रकार कुल 13,82,070+84,031+9,020+31,648 = 15,06,769 रूपये व्यय किये गये है जिनकी आरोपी की परिसम्पति पद में गणना की जाती है।	17.09.2012	स्वयं के पत्नी श्रीमती कमला मेहरडा के नाम से	15,06,769
18.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पुत्री रवीना के नाम से एक व्यवसायिक भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 125 वर्गगज, पंचायत समिति के पास, नांवा, जिला नागौर दिनांक 25.02.2021 में 2,00,000 रूपये में खरीदा गया है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।	25.2.2021	स्वयं की पुत्री रवीना के नाम से	2,00,000
19.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा अपनी माता श्रीमती सिणगारी देवी के नाम 1935.6 वर्गगज गैर कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई जमीन जो 1,53,300 रूपये में वर्ष 2013 में खरीदी गई। इसका पंजीयन शुल्क 4,110 रूपये व 500 रूपये स्टॉम्प ड्यूटी दी गई। इस प्रकार कुल खर्च 1,53,300+4,110+ 500=1,57,910 रूपये में जो श्री भवंर लाल मेहरडा का पदस्थापन एडीएम हनुमानगढ (नवम्बर 2011 से अक्टूबर 2014) के दौरान खरीदा गया है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।	मार्च 2013	माता श्रीमती सिणगारी देवीं के नाम पर	1,57,910
20.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा अपनी माता श्रीमती सिणगारी देवी के नाम से वर्ष 2001 में गांव कुचामन सिटी में खसरा नम्बर 585 व 586 में कुल 0.48 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री पन्ना लाल से 20,000 में खरीदी व इसमें 2200 रूपये स्टॉम्प ड्यूटी दी गई व इसके अतिरिक्त 7,998 रूपये पंजीयन शुल्क दिया गया। इस प्रकार कुल खर्च 20,000+2,200+7,998= 30,198 रूपये में जो आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा का पदस्थापन एसडीएम फतेहपुर (मार्च 1999 से जून 2002) के दौरान खरीदा गया है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।	23.10.2001	माता श्रीमती सिंणगारी देवी	30,198
21.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा अपनी माता श्रीमती सिणगारी देवी के नाम से चक नं0 10 एसटीजी तहसीली हनुमानगढ, खाता खतौनी 93/90 में से .	16.01.2014	जरिये रजिस्ट्र माता श्रीमती सिंणगारी देवी के नाम	5,34,900

	557 हैक्टर जो श्रीमती बिमला पत्नी श्री हंसराज से वर्ष 2014 में 5,00,000 रूपये में खरीदा तथा पंजीयन शुल्क 14,900 व 20,000 रूपये का स्टॉम्प शुल्क दिया। इस प्रकार कुल खर्च 5,00,000+20,000+ 14,900 = 5,34,900 रूपये में जो आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा के हनुमानगढ पदस्थापन (नवम्बर 11 से अक्टूबर 2014) के दौरान खरीदा गया है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।			
22.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा अपनी माता श्रीमती सिणगारी देवी के नाम से चक न0 10एसटीजी तहसील हनुमानगढ की खाता खतौनी सं 93/90 मे से 0.506 हैक्टर नाली श्रीमती बिमला पत्नी श्री हंसराज से दिनांक 19.02.2014 को 5,30,000 रू में कय की तथा 20,000 रूपये स्टॉम्प वेल्यू व 11,760 रूपये अन्य शुल्क जमा करवाये। कुल खर्च 5,30,000+20,000 + 11760 = 5,61,760 रूपये में जो आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा के हनुमानगढ पदस्थापन (नवम्बर 11 से अक्टूबर 2014) के दौरान खरीदा गया है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।	19.02.2014	जरिये रजिस्ट्र माता श्रीमती सिंणगारी देवी के नाम	5,61,760
23.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा अपनी माता श्रीमती सिणगारी देवी के नाम से चक न0 10एसटीजी तहसील हनुमानगढ की खाता खतौनी सं 75/45 मे से 0.506 हैक्टर नाली श्रीमती रेशमा पत्नी श्री नंदराम से दिनांक 25.09.2013 को 5,00,000 रू में कय की तथा 20,000 रूपये स्टॉम्प वेल्यू व 11,750 रूपये अन्य शुल्क जमा करवाये। इस प्रकार कुल खर्च 5,00,000+ 20,000+11,750= 5,31,750 रूपये जो आरोपी श्री भंवर लाल के हनुमानगढ पदस्थापन (नवम्बर 11 से अक्टूबर 2014) के दौरान खरीदा गया है जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती है।	25.09. 2013	जरिये रजिस्ट्र माता श्रीमती सिंणगारी देवी के नाम	5,31,750
24.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा द्वारा अपनी माता श्रीमती सिणगारी देवी के नाम से चक न0 10एसटीजी तहसील हनुमानगढ की खाता खतौनी सं 75/45 में से 1.265 हैक्टर नाली श्रीमती रेशमा पत्नी श्री नंदराम से दिनांक 09.01.2013 को 13,00,000 रू में कय की तथा 50,000 रूपये स्टॉम्प वेल्यू व 21,650 रूपये अन्य शुल्क जमा करवाये। इस प्रकार कुल खर्च 13,00,000+50,000+21,650 = 13,71,650 रूपये जो आरोपी श्री भवंर लाल के हनुमानगढ पदस्थापन (नवम्बर 11 से अक्टूबर 2014) के दौरान खरीदा गया है। जिनकी आरोपी की परिसम्पति मद में	09.01.2013	जरिये रजिस्ट्र माता श्रीमती सिंणगारी देवी के नाम	13,71,650

	गणना की जाती है।			
25.	आरोपी श्री भंवरलाल मेहरडा द्वारा अपनी माता श्रीमती सिणगारी देवी से दिनांक 16.03.2019 को कुचामन सिटी में वार्ड नं0 9 में आवासीय भूखण्ड, 1935.61 वर्ग गज को स्वयं के नाम से गिफ्ट–डीड करवाया जिसमें 39,197 रूपये सहित कुल 63,016 रूपये खर्च कियें। इस दौरान श्री भंवर लाल का पदस्थापन रेवेन्यू अपील ऑथोरिटी अजमेर में रहा।	16.03.2019	स्वयं के नाम गिफ्ट डीड के आधार पर	63,019
26.	तलाशी के दौरान दिनांक 10.04.2021 को श्री भंवर लाल मेहरडा के मकान के बाहर व पोर्च मे खडा टीवीएस कम्पनी की स्कूटी वेगो न0 आरजे 31 एचएस 4949 जो आरोपी की पुत्री रिचा मेहरडा के नाम से है उक्त स्कूटी को क्रय करने पर क्रय, इन्श्योरेंस व रजिस्ट्रेशन सहित कुल व्यय राशि 35,000 की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की जाती है।		स्कूटी वेगो आरोपी की पुत्री रिचा मेहरडा के नाम से	35,000
27.	तलाशी के दौरान दिनांक 10.04.2021 को श्री भंवर लाल मेहरडा के मकान के बाहर व पोर्च मे खडी नई गाडी KIA कम्पनी की गाडी सोनेट आर जे 45 सीएम 4057 आरोपी के स्वयं के नाम जो 5,812 किलोमीटर चली हुई जिसकी कीमत लगभग 13,90,827 है, क्रय करने पर इन्श्योरेंस व रजिस्ट्रेशन सहित कुल व्यय राशि 13,90,827 की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की जाती है।	13.11.2020	स्वयं के नाम कार सोनेट	13,90,827
28.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा के अजमेर स्थित सरकारी आवास की तलाशी दिनांक 26.05.2021 को ली गई तो तलाशी में श्री भंवर लाल मेहरडा द्वारा दिनांक 18.01.2019 को श्री कुशाल जोशी नामक व्यक्ति को 4,00,000 रूपये उधार देने का पत्र मिला जिस पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर है। दिनांक 13.3.2019 को 2,00,000 रूपये वापस लोटाने व 2,00,000 रूपये शेष होने का अंकन भी किया हुआ है, साथ ही उक्त राशि के अमानत के तौर पर कुशाल के हस्ताक्षरित दो चेक क्रमशः 4,00,000 रूप्ये व 1,00,000 लिखे हुए तलाशी में पाये गये है। इस प्रकार शेष उधार दी गई राशि 2,00,000 रूपये की गणना आरोपी की परिसम्पति मद में की जाती है।	18.01.2019	आरोपी स्वयं द्वारा उधार दी गई राशि	2,00,000
29.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा द्वारा दिनांक 16.02.2020 को 23,385 रूपये व 19.05.2020 को 22,950 रूपये राष्ट्रीय स्वर्ण बांण्ड में निवेश किया गया। इस प्रकार कुल 46,335 रूपये निवेश किया गया है जिसे आरोपी की परिसम्पति मद में गणना की जाती हैं	19.05.2020	स्वयं के नाम	46,335
30.	परिसम्पतियों की कुल कीमत			2,32,79,185

स्टेटमेंट – "स"

आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा (आरएएस) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मंडल अजमेर के दिनांक 15.1.1996 से 10.04.2021 की अवधि में शुद्ध आय जैसे वेतन, पूर्व निवेश पर ब्याज आदि से हुई आय का विवरण निम्न प्रकार से है–

क0 सं0	आय का शीर्षक	आय प्राप्त होने की दिनांक / वर्ष	किसके नाम खरीदी गई, आरोपी से सम्बन्ध।	शुद्ध आय की (राशि रूपयों में)
1.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा (आरएएस) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मंडल अजमेर दिनांक 15.1.1996 से 10.04.2021 तक वेतन से शुद्ध आय **1,31,39,355**/– रूपये(अक्टूबर 1996 से जून 2002 तक व जुलाई 2002 से अगस्त 2003 का जी.ए. 55 उपलब्ध नहीं होने से आरोपी के वेतन से आय 10,000 रूपये प्रति माह औसतन मानकर 79 माह X 10,000= 7,90,000 व अगस्त 2018 से फरवरी 2020 तक का जीए 55 उपलब्ध नहीं होने से आरोपी का वेतन से आय 1,00,000 रूपये प्रति माह औसतन मानकर 17 माह X 1,00,000= 17,00,000 रूपये की शुद्ध आय मानी गई है)	जनवरी 1996 से फरवरी 2021 तक	आरोपी के स्वयं के वेतन से आय	1,31,39,355
2.	श्री भंवर लाल मेहरडा के बैंक ऑफ बडौदा, पार्क स्ट्रीट एम.आई. रोड. जयपुर के खाता सं0 14360100008192 में दिनांक 10.04,2021 तक ब्याज से प्राप्त कुल राशि 32,562/– रूपये (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं उक्त राशि की गणना आरोपी की आय में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	32,562
3.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा का बैंक खाता संख्या 51031040732, एस.बी.आई. मुख्य शाखा अजमेर में दिनांक 10.04.2021 तक ब्याज से प्राप्त कुल राशि 2,06,242/– रूपये (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं उक्त राशि की गणना आरोपी की आय में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	2,06,242
4.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पत्नी श्रीमती कमला मेहरडा के बैंक ऑफ बडौदा, पार्क स्ट्रीट एम.आई. रोड. जयपुर के खाता स. 01300100016077 में दिनांक 10.04.2021 तक ब्याज से प्राप्त कुल राशि 56,263/– रूपये (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं उक्त राशि की गणना आरोपी की आय में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	56,263
5.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पुत्री सुश्री रवीना मेहरडा के इलाहबाद बैंक, बैंगलोर के खाता सं0 50071943508 में दिनांक 10.04.2021 तक ब्याज से प्राप्त कुल राशि 9,930/– रूपये (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	9,930

	उक्त राशि की गणना आरोपी की आय में की गई है।			
6.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पुत्री सुश्री रवीना मेहरडा के एचडीएफसी बैंक, बैंगलोर के खाता सं0 50100267594123 में दिनांक 10.04.2021 तक ब्याज से प्राप्त कुल राशि 1,092/– रूपये (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं उक्त राशि की गणना आरोपी की आय में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	1,092
7.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की पुत्री रिचा मेहरडा के एसबीआई बैंक सेक्टर 8, चित्रकूट जयपुर के बैंक खाता सं0 61276520271 में दिनांक 10.04.2021 तक ब्याज से प्राप्त कुल राशि 671/– रूपये (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं उक्त राशि की गणना आरोपी की आय में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	671
8.	आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा की माता श्रीमती सिणगारी देवी के एसबीआई बैंक, कलेक्ट्रेट हनुमानगढ के बैंक खाता स0 61213778826 में दिनांक 10.04.2021 तक ब्याज से प्राप्त कुल राशि 2,035/– रूपये (बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार) हैं उक्त राशि की गणना आरोपी की आय में की गई है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	बैंक खाता स्टेटमेंट के अनुसार	2,035
9	आय का कुल योग			1,34,48,150

स्टेटमेंट – "द"

आरोपी श्री भवंर लाल मेहरडा (आरएएस) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मंडल अजमेर के दिनांक 15.1.1996 से 10.04.2021 की अवधि में किये गये खर्चो का विवरण निम्न प्रकार से है–

क0 सं0	व्यय का शीर्षक	खर्च करने की दिनांक/वर्ष	किसके द्वारा खर्च किया गया, आरोपी से सम्बन्ध।	खर्च की राशि रूपयों में।
1.	आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक जनवरी 1996 से फरवरी 2021 तक की चैक अवधि में वेतन एवं भत्तो के रूप में प्राप्त सकल वेतन राशि रूपये 1,70,47,199 रू में से आयकर के रूप में कटौती राशि– 19,31,726/– रूपये कम किये जाने पर बचत राशि– 1,51,15,473/– होती है। उक्त बचत राशि का 1/3 हिस्सा असत्यापनीय व्यय (रसोई खर्च) राशि–50,38,451/– की गणना आरोपी के व्यय मद में की जाती है।	दिनांक 15.01.1996 से 10.04.2021 तक	आरोपी द्वारा किया रसोई खर्च में गया व्यय	50,38,451
2.	तलाशी के दौरान दिनांक 10.04.2021 को श्री भंवर लाल मेहरडा के मकान के बाहर व पोर्च मे खडी नई गाडी KIA कम्पनी की गाडी सोनेट आर जे 45 सीएम 4057 आरोपी के स्वयं के नाम जो 5,812 किलोमीटर चली	12.11.2020 से	स्वंय के नाम गाडी सोनेट	38,750

	हुई पायी गई (15 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से) उक्त वाहन पर तलाशी दिनांक तक पेट्रोल के रूप में किये गये व्यय लगभग राशि 38,750 रूपये की गणना आरोपी के व्यय मद में की जाती है।			
3.	तलाशी के दौरान दिनांक 10.04.2021 को श्री भंवर लाल मेहरडा के मकान के बाहर व पोर्च में खडा टीवीएस कम्पनी की स्कूटी वेगो न0 आरजे 31 एचएस 4949 जो आरोपी की पुत्री रिचा मेहरडा के नाम से है तथा 10,021 किलोमीटर चली हुई है उक्त वाहन के परिचालन में (40 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से) लगभग 25,000 का पेट्रोल खर्च हुआ है जिसकी गणना आरोपी के व्यय मद में की जाती है।		स्कूटी वेगो आरोपी की पुत्री रिचा मेहरडा के नाम	25,000
4.	उक्त मकान वर्ष 2003–04 में बना हुआ मानते है जिसका औसतन विधुत खर्च 5,000 रूपये प्रति माह की दर से लगभग 10,80,000 रूपये विद्युत खर्च का भुगतान किया गया है। जिसकी गणना आरोपी के व्यय मद में की जाती है।	वर्ष 2003–04 से अप्रेल 2021 तक	आरोपी स्वयं का मकान का विद्युत खर्च	10,80,000
5.	कुल व्यय			61,82,201

क. चैक अवधि से पूर्व अर्जित परिसम्पतियों का कुल मुल्य (प्रपत्र– "अ" का योग) = 00

ख. चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसम्पतियों का कुल मुल्य (प्रपत्र– "ब" का योग)= 2,32,79,185

ग. चैक अवधि के दौरान आरोपी की शुद्ध आय (प्रपत्र– "स" का योग) = 1,34,48,150

घ. चैक अवधि के दौरान किये गये खर्चे/व्यय की राशि (प्रपत्र– "द" का योग) = 61,82,201

ड. चैक अवधि के दौरान अर्जित कुल परिसम्पतियां एवं व्यय (ख+ घ का योग) := 2,32,79,185+ 61,82,201 = 2,94,61,386

च. आय से अधिक सम्पत्ति (ड – ग का अन्तर)– 2,94,61,386 – 1,34,48,150 = 1,60,13,236

छ. आय से अधिक सम्पत्तियों का प्रतिशत (%) 1,60,13,236 x 100 / 1,34,48,150 = **119.07%**

इस प्रकार श्री भवंर लाल मेहरडा (आर.ए.एस) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर निवासी– 104, विद्युत नगर सी, वैशाली नगर जयपुर द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान स्वंय द्वारा अर्जित शुद्ध आय 1,34,48,150/– रूपये है। आरोपी द्वारा अपने सेवाकाल में स्वंय चैक अवधि के दौरान अर्जित कुल परिसम्पतियों एवं व्यय 2,94,61,386/– रूपये है जो आरोपी द्वारा अर्जित आय से 1,60,13,236 रूपये (119.07 %) अधिक है,

चुंकि श्री भंवर लाल मेहरडा (आर.ए.एस.) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर को स्वयं द्वारा चैक अवधि (जनवरी 1996 से अप्रेल 2021 तक) अर्जित परिसम्पतियों व किये गये व्यय के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण बाबत श्री मेहरडा को बार–बार जरिये नोटिस तलब करने के बावजूद भी आज दिनांक तक ब्यूरो मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश नहीं किया ना ही किसी अन्य माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रेषित किया। आरोपी के विरूद्ध खाना तलाशी जांच में आरोपी के पुत्र/पुत्रियों के शिक्षा पर किये गये व्यय का आकलन नहीं किया गया है।

अतः श्री भवंर लाल मेहरडा (आर.ए.एस), निवासी– 104, विद्युत नगर सी, वैशाली नगर जयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने सेवाकाल दिनांक 15.1.1996 से 10.04.2021 तक की अवधि में अपने समस्त ज्ञात आय के स्त्रोतो से अर्जित वैद्य आय 1,34,48,150/– रूपये के मुकाबले कुल परिसम्पतियां एवं व्यय राशि 2,94,61,386/रू0 पाई गई है जो आरोपी द्वारा अर्जित वैध आय से राशि 1,60,13,236/– रू0 (119.07 %) अधिक पाई गई है। आरोपी श्री भंवरलाल मेहरडा तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर

का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13 (1) (ई) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 एवं 13(1) (बी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्ट्या परिभाषित पाया जाने से आरोपी श्री भंवरलाल मेहरड़ा तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

30/12/22

(कमल नयन)
उप अधीक्षक पुलिस,
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)(बी), सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री भंवर लाल मेहरडा, (आर.ए.एस.) तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 340/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2971-75 दिनांक 31.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान सरकार।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

31.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।